रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72
REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 1986/ज्येष्ठ 13, 1908
No. 272] NEW DELHI, TUSEDAY, JUNE 3, 1986/JYAISTHA 13, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(स्टाक एक्सचेंज प्रभाग)

नई दिल्ली, 3 जून, 1986

अधिसूचना

सा. का. वि. 826(अ).—प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 में अग्रेतर संशोधन करने वाले कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को, जिन्हें केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42 वां) की धारा 30 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव रखती है, उपर्युक्त धारा की उपधारा (3) में विहित अपेक्षा के अनुसार, एतद्द्वारा, इन से संभावित रूप में प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, और एतद्द्वारा पूर्वसूचना दी जाती है कि उपर्युक्त प्रारूप पर, उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की गई होगी, जनता को उपलब्ध करा दी जाएंगी, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति होने पर या उसके पश्चात्, विचार किया जाएगा ।

उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पहले उपर्युक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से जो कोई आपत्तियां अथवा सुझाव प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

1. (1) इन नियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियमावली, 1986 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 के नियम 8, खण्ड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(4) कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित एक कम्पनी एक सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए तब तक अर्हय नहीं होगी जब तक कि :—

(क) वह उपर्युक्त अधिनियम की धारा 322 के उपबन्धों के अनुपालन में प्रतिष्ठापित न की गई होगी;

(ख) उसके समस्त निदेशकों का दायित्व अमर्यादित न होगा; और

(ग) उसके बहुसंख्यक निदेशक स्टाक एक्सचेंज के सदस्य न होंगे और कम्पनी के शेयर होल्डर न होंगे ।"

[फाइल संख्या 14/3/एस. ई./86-क]
एस. कृष्णा कुमार, निदेशक
(निवेश)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

New Delhi, the 3rd June, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 826(E).—The following draft of certain rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In rule 8 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, for clause (4), the following clause shall be substituted, namely:—

"(4) A company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall not be eligible to be elected as a member, unless:—

(a) it is formed in compliance with the provisions of section 322 of the said Act,

(b) all its directors have unlimited liability, and

(c) a majority of its directors are members of the stock exchange and also shareholders of the company.

[File No. 14/3/SE/86-A]

S. KRISHNA KUMAR, Director (Investment)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986